संख्या– 22/2022/235/छप्पन-2022-31/2016(SIAS)T.C.-1

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2022

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम-रोही, दयानतपुर, पारोही व किशोरपुर की अर्जित भूमि के मध्य पड़ने वाले कतिपय खसरा संख्याओं की 3.5533 है0 भूमि को आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय किए जाने हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-545/ना0उ0नि0-2022-ए.एफ.-116/2016 दिनांक 08 फरवरी, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में ग्राम-रोही, दयानतपुर, पारोही व किशोरपुर की अर्जित भूमि के मध्य पड़ने वाले कतिपय खसरा संख्याओं की 3.5533 है0 भूमि को आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय किए जाने हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान के लिए रू0 8,81,220/- (रूपए आठ लाख इक्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में ग्राम-रोही, दयानतपुर, पारोही व किशोरपुर की अर्जित भूमि के मध्य पड़ने वाले कतिपय खसरा संख्याओं की 3.5533 है0 भूमि को राजस्व अनुभाग-13 के शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2015 में विहित प्रावधानानुसार आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय किए जाने हेतु कुल भूमि मूल्य की धनराशि रू0 8,81,21,840/- के 1 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान के लिए रू0 8,81,220/- (रूपए आठ लाख इक्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में व्यय की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vi) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(11) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत भूमि के क्रय से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों एवं नियमों के अन्तर्गत की जाएगी।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 8,81,220/- (रूपए आठ लाख इक्यासी हजार दो सौ बीस मात्र) तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जायेगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय" से वहन की जाएगी।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 22/2022/235(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा/ग्रेटर नॉएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

4- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

5- कलैक्टर/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

6- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

8- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

9- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-13.

11- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।